

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून।

संख्या: 1692 / आब0व्यव0 / वि0म0दु0-राजस्व / 2026-27 / पौड़ी दिनांक: 17 मार्च, 2026

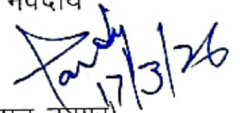
विषय:- वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु जनपद की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के राजस्व निर्धारण विवरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु जनपद की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के संचालन हेतु विज्ञप्ति एवं राजस्व निर्धारण विवरण को विभागीय वेबसाईट Uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड किया जाना है।

अतः वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु जनपद की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों हेतु जारी विज्ञप्ति एवं राजस्व निर्धारण विवरण की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित कि उक्त विवरण को पौड़ी की वेबसाईट Uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय


(तपन कुमार)

जिला आबकारी अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आवकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून दिनांक 05 मार्च, 2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आवकारी नीति विषयक नियमावली वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आवकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 45/XXIII-1/2025-04/E-80688 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं आवकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात लाई0एस0-48/व्यव0 /2026-27/2027-28/सात लाई0एस0/व्यवस्थापन देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल वित्तीय वर्ष 2026-27 व 2027-28 हेतु अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का राजस्व विवरण।

वर्ष 2026-2027								वर्ष 2027-2028								
क्र.स.	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व का लाईसेंस फीस(1% (1000 के पूर्णांक में)	वर्ष 2026-27 हेतु वार्षिक अधिभार (MGD)	मासिक अधिभार की धनराशि 1/12 भाग	प्रतिभूति की धनराशि	हैसियत की धनराशि वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व का 15%	वर्ष 2027-28 निर्धारित राजस्व	वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व का लाईसेंस फीस(1% 1000 के पूर्णांक में)	वर्ष 2027-28 हेतु वार्षिक अधिभार (MGD)	मासिक अधिभार की धनराशि 1/12 भाग	प्रतिभूति की धनराशि	नवीनीकरण शुल्क निर्धारित राजस्व का 0.35% की धनराशि या 50000 जो अधिक हो (कौलम 4 के अनुसार)	हैसियत की धनराशि निर्धारित राजस्व का 15%	वर्ष 2026-27 व 2027-28 का निर्धारित राजस्व	धरोहर वर्ष 2026-27 व 2027-28 के निर्धारित राजस्व का 2%
1	कोट	12123587	121000	12002587	1000216	1000216	1818538	12608530	126000	12482530	1040211	1040211	50000	1891280	24732117	494542
2	नैनीडांडा	20499862	205000	20294862	1691238	1691238	3074979	21319856	213000	21106856	1758905	1758905	74619	3197978	41819718	836394
3	पौखाल	25979114	260000	25719114	2143259	2143259	3896867	27018278	270000	26748278	2229023	2229023	94564	4052742	52997392	1059948
4	प्यासघाट / सिल्लू तल्ला / उमरासुरोड	26500000	265000	26235000	2186250	2186250	3975000	27560000	276000	27284000	2273667	2273667	96460	4134000	54060000	1081200
5	ढाबखाल	31800000	318000	31482000	2623500	2623500	4770000	33072000	331000	32741000	2728417	2728417	115752	4960800	64872000	1297440
6	दुधारखाल	19292000	193000	19099000	1591583	1591583	2893800	20063680	201000	19862680	1655223	1655223	70223	3009552	39355680	787114
7	रामणी / भरतनगर उत्तिहा	31800000	318000	31482000	2623500	2623500	4770000	33072000	331000	32741000	2728417	2728417	115752	4960800	64872000	1297440
8	कसाणी	19292000	193000	19099000	1591583	1591583	2893800	20063680	201000	19862680	1655223	1655223	70223	3009552	39355680	787114
कुल योग		187286562	1873000	185413562	15451130	15451130	28092984	194778025	1949000	192829025	16069085	16069085	687593	29216704	382064587	7641292

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय राश्व पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि निर्धारित राजस्व के 2 प्रतिशत के बराबर व प्रक्रिया शुल्क रु0 65000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आवकारी नीति घोषित होने की तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आवकारी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड से 15 करोड राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आवकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आवकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल तथा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है

जिला आवकारी अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।



कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
संख्या: 25639/सात लाईन-48/आवकारी नीति-2025/देहरादून: दिनांक: मार्च, 16, 2026
::सार्वजनिक विज्ञापित::

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आवकारी अनुभाग की अधिरचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आवकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आवकारी नीति) के तहत में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/80638/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आवकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सातलाई-48/व्यवस्थापन/2026-27/2027-28/सातलाई/व्यवस्थापन देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028) की अवधि हेतु व्यवस्थापित/नवसृजित निम्न विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक निम्नांकित जनपदों में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु निम्नवत निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	फूटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपराह्न 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात व्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दिवस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त ऑफर को आवकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु मदिरा दुकानें जिन पर लॉटरी (प्रथम एवं द्वितीय चरण), प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर उपर्युक्त उल्लिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
उत्तरकाशी	(1) विदेशी मदिरा दुकान आराकोट, (2) वि० म० हर्षिल/झाला (3) वि० म० सांकरी।
चम्पावत	(1) सीम चूका विदेशी मदिरा (नवसृजित) (2) बोलडी पनार विदेशी मदिरा (नवसृजित) (3) बालिक देशी (नवसृजित) (4) मंच देशी (नवसृजित)
उधमसिंहनगर	(1) देशी मदिरा दुकान सितरगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड (2) दे०म०दु० मानपुर रोड (3) दे०म०दु० पूरानपुर-टेड़ाघाट (4) दे०म०दु० भगवन्तपुर अमानगढ़ रोड (5) दे०म०दु० अनाजमण्डी काशीपुर (6) दे०म०दु० धीमरखेड़ा (7) दे०म०दु० हल्दूआसाहू (8) दे०म०दु० मलसा गिरधरपुर रोड (नवसृजित) (9) दे०म०दु० जाफरपुर (नवसृजित) (10) दे०म०दु० चक्कीमोड़ (11) दे०म०दु० छिनकी किच्छा (नवसृजित) (12) दे०म०दु० बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर (नवसृजित) (13) दे०म०दु० पटिया कौंधा असरफ (14) दे०म०दु० बानूसी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (16) दे०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (17) दे०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (18) दे०म०दु० सकैनिया रोड (19) दे०म०दु० प्रतापपुर 17 मील रोड (नवसृजित) (20) दे०म०दु० पिपलिया (बाजपुर) (नवसृजित) (21) दे०म०दु० निकट कोसी कौंटा बाजपुर (नवसृजित) (22) दे०म०दु० दुकड़ी बिछुवा रोड नगला (23) दे०म०दु० सुन्पहर (24) दे०म०दु० बगियाघाट (नवसृजित) (25) विदेशी मदिरा दुकान किच्छा रोड सितारगंज (नवसृजित) (26) वि०म०दु० टनकपुर रोड खटीमा (नवसृजित) (27) वि०म०दु० चैती चौराहा (नवसृजित) (28) वि०म०दु० रम्पुरा रुद्रपुर (नवसृजित) (29) वि०म०दु० सिसैया निकट नेशनल हाईवे सितारगंज (30) वि०म०दु० बाजपुर दौराहा (31) वि०म०दु० इन्द्रा कालोनी (नवसृजित) (32) वि०म०दु० ढकिया गुलाबो (नवसृजित) (33) वि०म०दु० रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर (नवसृजित) (34) वि०म०दु० छोई रोड (35) वि०म०दु० धनौरी-कैलामोड़ रोड (36) वि०म०दु० सकैनिया रोड (नवसृजित) (37) वि०म०दु० धीमर खेड़ा (38) वि०म०दु० सुल्तानपुर पट्टी (39) वि०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (40) वि०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (41) वि०म०दु० नादेही (42) वि०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (43) वि०म०दु० सुन्पहर
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलाछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० ववैरला (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० दौलाघट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सोराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीहाट (2) वि०म०दु० मुनसारी (3) वि०म०दु० जौलजीगी (4) वि०म०दु० तुंगाभीना (5) वि०म०दु० जौसारी (6) वि०म०दु० मदकोट (7) वि०म०दु० देवलथल (8) वि०म०दु० डूनी/टिग्ला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० खिरमाण्डे (नवसृजित) (10) वि०म०दु० खाँकर (नवसृजित) (11) वि०म०दु० तवाघाट (नवसृजित) (12) देशी मदिरा दुकान जौलजीगी (13) दे०म०दु० धारवूला रोड पिथौरागढ़ (नवसृजित) (14) दे०म०दु० जाजरदेवल (नवसृजित) (15) दे०म०दु० नलुवाकोट (नवसृजित) (16) दे०म०दु० ओगला (नवसृजित) (17) दे०म०दु० सुवालेख (नवसृजित) (18) दे०म०दु० मुनसारी (नवसृजित) (19) दे०म०दु० बनकोट (नवसृजित) (20) दे०म०दु० उडियारीवेण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (21) दे०म०दु० तेजग (नवसृजित) (22) दे०म०दु० नारायगढ़ (नवसृजित)
पौड़ी गढ़वाल	(1) विदेशी मदिरा दुकान कोट (2) वि०म०दु० नैनीडांडा (3) वि०म०दु० पौखाल (4) वि०म०दु० व्यासघाट/सिल्लू तल्ला/उभरासूरोड (5) वि०म०दु० ढावखाल (6) वि०म०दु० दुधारखाल (7) वि०म०दु० रामणी/भरतनगर उत्तिक्षा (8) वि०म०दु० कराणी
नैनीताल	(1) विदेशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (वजून रो कालाहूगी मार्ग) (नवसृजित) (2) वि०म०दु० काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग) (नवसृजित) (3) वि०म०दु० रामपुर रोड (पंचायत घर से गन्ना रोन्टर मार्ग) (नवसृजित) (4) वि०म०दु० मोहान रोड (डिकुली रो मोहान रोड) (नवसृजित) (5) वि०म०दु० रातीघाट (नैनीताल) (नवसृजित) (6) देशी मदिरा दुकान गौलापार से चौरगलिया रोड (नवसृजित) (7) देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (वजून रो कालाहूगी मार्ग) (नवसृजित) (8) देशी मदिरा दुकान मालधन रोड (निकट विदेशी मदिरा दुकान) (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आवकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या:-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आवकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आवकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क ₹० 65,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आवकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आवकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आवकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आवकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आवकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in व कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभाशंकर मिश्रा)
उप आवकारी आयुक्त,
कृते आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या: 25640-44/सात लाई०-48/आवकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आवकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के ध्येय सहित आवकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द पायनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखंड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 17.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु विल कार्यालय आवकारी आयुक्त उत्तराखंड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(प्रभाशंकर मिश्रा)
उप आवकारी आयुक्त,
कृते आवकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।